FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु.... मुकाम ....

....अमराराम वगैरह.... बनाम ....रुगनाथराम वगैरह....

किस्म मुकदमा ....रा० वाद 88, 188 Rt Act.... नं. ....208.... सन् ....2019....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....खेताराम सारण.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....88, 188 Rt Act.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....8/1/20.... को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/01/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील होकर तामील अप्राप्त/ पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/01/2020 को पेश हो। [illegible]	
13/01/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील होकर प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-2 स्वयं pw-1 - जगाराम पुत्र श्री रुगनाथराम जाति-जाट निवासी- माडिगोलियों की ढाणी, बायतु पनजी तह०-बायतु, pw-2- भंवरलाल पुत्र श्री बाबाराम जाति-देवासी निवासी [illegible] तला, बायतु पनजी तहसील- बायतु के शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी साक्ष्य [illegible] विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	जगाराम रुगनाथराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या-1 एवं DW-1- रुगनाथराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी- महेशोकी मूठों की ढाणी पटवार (हल्का)- बायतु पनजी तहसील- बायतु के बयान-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या- 2 से 14 एवं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रतिवादी संख्या- 2 से 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23/03/20 को पेश हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

23/03/20 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/07/20 को पेश हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

14/07/20 वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
14.7.2020
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 208 / 2019

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. अमराराम पुत्र रूगनाथराम
2. जगाराम पुत्र रूगनाथराम
   जातियान्–जाट,
   निवासीयान्–महिगोणी मूढ़ों की ढाणी,
   बायतु पनजी, तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

1. रूगनाथराम पुत्र लालाराम
2. भूराराम पुत्र लालाराम
3. रिड़मलराम पुत्र लालाराम
4. पनाराम पुत्र लालाराम
5. चुनाराम पुत्र लालाराम
6. मनोज कुमार पुत्र गणेशाराम
7. गवरीदेवी पत्नी गणेशाराम
8. हनुमानराम पुत्र खेमाराम
9. पूरोंदेवी पत्नी खेमाराम
10. आईदानराम पुत्र रणछाराम
11. केशाराम पुत्र रणछाराम
12. बगताराम पुत्र रणछाराम
13. भंवरलाल पुत्र रणछाराम
14. रणछाराम पुत्र लालाराम
    जातियान्–जाट,
    निवासीयान्–महिगोणी मूढ़ों की ढाणी, तहसील–बायतु,
    जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– **दिनांक** 14 / 7 / 2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा मूढ़ों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 395, 396 रकबा क्रमशः 00.12, 110.04 बीघा व मौजा मीटिया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 920/380, 349, 350, 379 रकबा क्रमशः 08.05, 00.05, 219.19, 22.12 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज लालाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण [illegible] का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण [illegible] पैतृक भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

न्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में ... हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 2 से 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण खेमाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मूढ़ों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 395, 396 रकबा क्रमशः 00.12, 110.04 बीघा व मौजा मीटिया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 920/380, 349, 350, 379 रकबा क्रमशः 08.05, 00.05, 219.19, 22.12 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
अमराराम पुत्र रूगनाथराम वगैरह		रूगनाथराम पुत्र लालाराम वगैरह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–208/2019. **निर्णय दिनांक :–** 14/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मूढ़ों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 395, 396 रकबा क्रमशः 00.12, 110.04 बीघा व मौजा मीटिया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 920/380, 349, 350, 379 रकबा क्रमशः 08.05, 00.05, 219.19, 22.12 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास 14.7.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. अमराराम पुत्र रूगनाथराम
2. जगाराम पुत्र रूगनाथराम

जातियान्–जाट,
निवासीयान्–महिगोणी मूढ़ों की ढाणी,
बायतु पनजी, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूगनाथराम पुत्र लालाराम
2. भूराराम पुत्र लालाराम
3. रिड़मलराम पुत्र लालाराम
4. पनाराम पुत्र लालाराम
5. चुनाराम पुत्र लालाराम
6. मनोज कुमार पुत्र गणेशाराम
7. गवरीदेवी पत्नी गणेशाराम
8. हनुमानराम पुत्र खेमाराम
9. पूरोंदेवी पत्नी खेमाराम
10. आईदानराम पुत्र रणछाराम
11. केशाराम पुत्र रणछाराम
12. बगताराम पुत्र रणछाराम
13. भंवरलाल पुत्र रणछाराम
14. रणछाराम पुत्र लालाराम

जातियान्–जाट,
निवासीयान्–महिगोणी मूढ़ों की ढाणी, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

14.7.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested